राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक: प.2(26) नि.चि.शि./सामान्य /पीसीपीएनडीटी/पार्ट–I/2014 / 3098 दिनांक: 9/5/17 11

कन्वीनर,
प्री–पी.जी. काउसिंलिंग बोर्ड 2017
एवं प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
एस0एम0एस0 मेडिकल कॉलेज,
जयपुर।

परियोजना निदेशक
पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ
निदेशालय , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राज. सरकार जयपुर।

विषयः– पीसीपीएनडीटी एक्ट–1994 (6 माह ट्रेनिंग) नियम–2014 के अनुसार सोनोग्राफी की 6 माह की ट्रेनिंग के लिये राज्य सरकार की प्री–पी.जी./केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित नीट–2017 की परीक्षा की राज्य स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची के अनुसार छात्रों के चयन करने के संबंध में।

भारत का राजपत्र असाधारण भाग II –खण्ड 3–उपखण्ड (i) जनवरी 2014 एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान – तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन नियम–2014 के अनुसार सोनोग्राफी की छः माह की ट्रेनिंग के लिये छात्रों का चयन राज्य स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची के अनुसार करना होगा।

सोनोग्राफी की छः माह की ट्रेनिंग के लिये पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 (6 माह ट्रेनिंग) नियम–2014 एवं भारत के राजपत्र जनवरी, 2014 के पेरा 8– छात्रों का चयन के अनुसार–

1. ऐसे प्रशिक्षण में प्रवेश के लिये रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का चयन और भर्ती निम्नलिखित मापदण्डों के आधार होगी।
   (क) ऐसे प्रशिक्षण में प्रवेश के लिये भर्ती छात्र शिक्षक के 1:1 अनुपात में होगा और विकिरण चिकित्सा विभाग मे प्रशिक्षण दिया जायेगा।
   (ख) राज्य स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची के अनुसार चयन होगा।
   (ग) सेवारत अभ्यार्थियों के लिये 20 प्रतिशत आरक्षण।

इस प्रकार से छात्रों का चयन राज्य स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची के अनुसार और भारत के राजपत्र जनवरी, 2014 और पीसीपीएनडीटी नियम–2014 में दर्शाये गये नियमों के अनुसार किया जाना है। उल्लेख है कि इस वर्ष राज्य स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित नीट–2017 परीक्षा की राज्य स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए तैयार योग्यता सूची के द्वारा तैयार किया जानी है और उल्लेखित ट्रेनिंग के लिए छात्रो का चयन इस योग्यता सूची से होना है।

उल्लेखित ट्रेनिंग के लिये छात्रों की पात्रता भारत का राजपत्र जनवरी, 2014 एवं पीसीपीएनडीटी रूल्स, 2014 के पैरा–6 प्रशिक्षण के लिये पात्रता– के अनुसार पात्रता निम्नानुसार होगी–

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी उक्त छः मासिक प्रशिक्षण को करने के लिये पात्र होगा।
(2) ऐसे विद्यमान रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो एक वर्ष के अनुभव या छः मासिक प्रशिक्षण के आधार पर किसी जननिक क्लीनिक या अल्ट्रासाउंड क्लीनिक या इमेजिंग केन्द्र में अल्ट्रा साउण्ड की प्रकिया को संचालित कर रहे है। उक्त प्रशिक्षण को करने से छूट प्राप्त होगी। परन्तु ये अनुसूचि 2 में विनिर्दिष्ट सक्षमता आधारित निर्धारित अर्हित होने के लिये योग्य है और उक्त सक्षमता आधारित परीक्षा को पूर्ण करने में असफल होने की दशा में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के प्रयोजन के लिये उनसे इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित छः मासिक प्रशिक्षण पूरा करना अपेक्षित होगा।

9/5/17

उल्लेखित छः माह की सोनोग्राफी ट्रेनिंग के लिये भारत का राजपत्र जनवरी, 2014 एवं पीसीपीएनडीटी रूल्स, 2014 के पैरा–7 छः मासिक प्रशिक्षण और इसकी मान्यता के लिये संस्थानों का प्रत्यापण के अनुसार नामित शिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण केन्द्रों मे होना है। इस संबंध में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन एफ.2(26)/चि.शि.नि./सामान्य

शाखा/पीसीपीएनडीटी/2014 दिनांक 05.09.2014 के अनुसार निम्न संस्थानों को प्रशिक्षण के लिये नोटिफाई किया गया है :–

1. जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर
2. एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
3. एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर
4. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
5. राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा
6. आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
7. इसके अतिरिक्त निदेशक(जन स्वा0), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान के आदेश कमांक राजपत्रित/डीपीसी/2015/886 दिनांक 02.11.2015 के अनुसार झालावाड मेडिकल कॉलेज, झालावाड को छः माह की सोनोग्राफी ट्रेनिंग के लिये अधिकृत किया गया है।

भारत का राजपत्र जनवरी, 2014 एवं पीसीपीएनडीटी रूल्स, 2014 के पैरा–10 के अनुसार प्रशिक्षण के लिये फीस संरचना–

(1.) छः मासिक प्रशिक्षण के संचालन के लिये प्रशिक्षण फीस 20,000/– रूपये से अधिक नही होगी।

(2.) ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो किसी आनुवांशिक निदान शाला या अल्ट्रासाउण्ड निदान शाला अथवा इमेजिंग केन्द्र में अल्ट्रासोनोग्राफी संचालन के लिये पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है और उनसे सक्षमता आधारित मूल्यांकन उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा। फीस 10,000/– रूपये से अधिक नही होगी।

(3.) सेवारत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिये फीस संरचना या अधित्यजन का संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनिश्चय किया जायेगा।

भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2–खण्ड 3–उपखण्ड (1) जनवरी 2014 एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 (6 माह ट्रेनिंग) नियम–2014 के पैरा 3 अल्ट्रा सोनाग्राफी में 06 मासिक प्रशिक्षण का नाम पद्वति – इन नियमों के अधीन दिये जाने वाले 6 मासिक प्रशिक्षण को " उदरीय श्रोणि अल्ट्रा सोनोग्राफी के मूलभूत एमबीबीएस डाक्टरों के लिये स्तर एक के रूप में जाना जायेगा।

अंग्रेजी भाषा में भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2–खण्ड 3–उपखण्ड (1) जनवरी 2014 एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 (6 माह ट्रेनिंग) नियम–2014 के पैरा 3 Nomenclature of the Six months Training in ultrasonography- The six months training imparted under these rules shall be known as "The fundamentals in Abdomino-Pelvic Ultra sonography : Level one for M.B.B.S. Doctors".

पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न :– भारत का राजपत्र की छायाप्रति।

09/5/17

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

कमांकः प.2(26) नि.चि.शि./सामान्य /पीसीपीएनडीटी/पार्ट–I/2014 /3098 दिनांकः 11/5/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं विशिष्ट शासन सचिव (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.।
4. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।